(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक :– R निगरानी / 4029 / 2018 / ग्वालियर / भू.रा.

श्री अशोक गार्ग अभिभाषक द्वारा आज दि. 26/6/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10/7/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 26.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– संदीप सिंह ढिल्लन

2– सुरमीत सिंह पुत्रगण श्री मेहर सिंह जाति जट्ट सिख निवासीगण वार्ड क्रमांक 22 मगरौरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म. प्र. –प्रार्थीगण

बनाम

1– मनिन्दर कौर पत्नी हीरासिंह पुत्री दिलीप सिंह

2– सुरेन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री दिलीप सिंह समस्त निवासीगण वार्ड क्रमांक 22 मगरौरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म. प्र.

3– गुरमेज कौर पत्नी स्व. श्री दिलीप सिंह

4– गगनदीप सिंह पुत्र जीवन सिंह समस्त निवासी ग्राम मगरौरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म. प्र.

5– मेहर सिंह पुत्र दिलीप सिंह जाति जट्ट सिख निवासी वार्ड क्रमांक 22 मगरौरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म. प्र. –प्रतिप्रार्थीगण

26/6/18
(अशोक गार्ग)

म प्र.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16/05/2018 न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील डबरा जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 49/2015–16/अ–6।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

विलम्ब की स्थिति :– निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक आवेदन पत्र वास्ते नामांतरण हेतु अन्तर्गत धारा 109, 110 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के भूमि स्वामी प्रार्थीगण के बाबा दिलीप सिंह ने अपने जीवनकाल मे प्रार्थीगण के हक मे विवादित भूमि, मकान व भू–खण्ड का वसीयतनामा दिनांक 23/06/2015 को सम्पादित कर समक्ष उप–पंजीयक के यहाँ रजिस्टर्ड कराया था।

2– यह कि, वसीयतनामे मे ग्राम मगरौरा की भूमि सर्वे क्रमांक 714, 715 एवं सर्वे क्रमांक 1503 कुल किता 3 कुल रकवा 1.780 हैक्टर तथा ग्राम मगरौरा के ही सर्वे क्रमांक 1503/2075 रकवा 0.10 हैक्टर भूमि जो कि परिवर्तित (डायवर्टेट) भूमि है जिस पर मकान बना हुआ है इसके अलावा दिलीप सिंह के स्वत्व स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1845/10 मिन–2 रकवा 11050 वर्गफीट का भू–खण्ड मे से स्व. दिलीप सिंह का भाग 1/3 यानि 3683 वर्गफीट भूमि है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4029 / 18 / ग्वालियर / भू.रा.

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। रीडर अध्यक्ष	